म.प्र. शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक **07-10-2025**

File No.:1/16/8/0036/2025-ESTB-DSD-767138:::::: राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को **उप संचालक** के पद पर वेतनमान रूपये **67300-206900** में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त करते हुये उनके सामने (कॉलम **4** में अंकित) संस्था/कार्यालय में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है। ये नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक एसएलपी **12398/2023**, एसएलपी **8764/2023** एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. **7328/2023**, डब्ल्यू.पी. **22659/2023**, डब्ल्यू.पी. **10745/2024**, डब्ल्यू.पी. **13594/2023**, डब्ल्यू.पी. **11226/2023**, डब्ल्यू.पी. **8521/2023** एवं डब्ल्यू.पी. **38120/2025** एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगी।

1. परीवीक्षा अवधि में उनकी सेवाए कभी भी बिना कारण बताऐ एवं बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकेगी।

2. कार्यग्रहण करने के उपरांत यदि स्वयं की इच्छा से सेवायें छोड़ना चाहते हैं तो एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का पूर्ण वेतन देना होगा। इसी तरह यदि विभाग सेवायें समाप्त करता है तो विभाग एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन भुगतान कर सेवायें समाप्त कर सकेगा।

3. कार्यग्रहण के समय जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना होगा।

4. यदि किसी उम्मीदवार का दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र या नियुक्ति संबंधी अन्य कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकेगी और उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा ।

5. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6. उम्मीदवारों की आपसी वरिष्ठता मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम **1961** के नियम **12(1)(क)** के अनुसार म.प्र. लोक सेवा आयोग इंदौर से प्राप्त चयनित मेरिट सूची अनुसार होगी।

7. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-**9/3/2003**/नियम/चार, दिनांक **13.04.2005** के तहत **01.01.2005** के उपरांत नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों को

अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे तथा म.प्र. सामान्य भविष्य निधि लागू नहीं होंगे।

08. उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अंदर संबंधित संस्था/कार्यालय में कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। एक माह की अवधि में उपस्थित न होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम तथा पता	आरक्षित/ अनारक्षित	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/कार्यालय का नाम जहां पदस्थापना की गई है
1	2	3	4
1	सौरभ सिंह तोमर पुत्र सुरेंद्र सिंह तोमर ग्राम- नोनेरा थाना मालनपुर तहसील गोहद जिला भिंड, पिन 477117 एमपी	अनारक्षित	क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर
2	आयुष अग्रवाल पुत्र विजय अग्रवाल 1046 विजय स्पोर्टस अंधेरदेव जबलपुर पिन 482002	अनारक्षित	क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर
3	अनामिका रोहित डी/ओ पन्ना लाल रोहित एमआईजी 84 विवेकानन्द नगर दमोह जिला दमोह पिन 470661 म.प्र	अनुसूचित जाति (अनारक्षित महिला के विरूद्व)	संचालनालय जबलपुर
4	कंचन पटेल पुत्री कमलेश प्रसाद पटेल आशीष पटेल वार्ड क्रमांक 26 गोलम्बर मोबाईल टॉवर के पास छत्रपति नगर रीवा जिला रीवा पिन 486005 एमपी	ओबीसी महिला	MPSSDEGB भोपाल (बोर्ड में कार्यग्रहण उपरांत जीएसपी भोपाल में कार्य करेंगे।)
5	उमाशंकर ब्रम्हे पुत्र प्रह्लाद सिंह वार्ड क्रमाकं 02 गोविन्द पैलेस लॉन के पास भटेरा चौकी बालाघाट पिन 481001 एमपी	अनुसूचित जाति	MPSSDEGB भोपाल
6	ब्रजेश सींग पुत्र लाखन सींग मकान नंबर। 92 वार्ड क्रमांक 12 तेंदूखेड़ा, दुर्गा मंदिर के पास,	अनुसूचित जनजाति	क्षेत्रीय कार्यालय बालाघाट

	तेन्दुखेडा जिला दमोह पिन **470880** एमपी		
7	प्रियंका बामने पुत्री सुरेश **252** बी वीणा नगर जिला इंदौर पिन **452010** म;प्र;	अनुसूचित जनजाति महिला	क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
RAKESH KUSHRE
Date: 07-10-2025
13:13:50

उपसचिव
म.प्र. शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

File No.:1/16/8/0036/2025-ESTB-DSD-767138 भोपाल, दिनांक**07-10-2025**

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।

2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल।

3. संचालक, कौशल विकास संचालनालय म.प्र.।

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीएसएसडीईजीबी भोपाल (म.प्र.)

5. परियोजना संचालक, संत शिरोमणि रविदास, ग्लोबल स्किल पार्क, भोपाल।

6. समस्त संयुक्त संचालक, कौशल विकास, क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, मध्यप्रदेश।

7. संबंधित कार्यालय/संस्था प्रमुख (कॉलम **4** में दर्शाये अनुसार) मध्यप्रदेश। संबंधित के कार्यग्रहण प्रतिवेदन, व्यक्तिगत विवरण एवं प्रमाण पत्रों की एक-एक प्रमाणित प्रति भेजें। उम्मीदवार का पुलिस चरित्र सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें। विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल से अंतिम अभिमत प्राप्त होने पर संचालनालय कौशल विकास जबलपुर को भेजे। संचालनालय द्वारा पुलिस चरित्र सत्यापन परीक्षण उपरान्त विभाग को प्रेषित किये जावेंगे।

8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।

9. संबंधित उम्मीदवार को सूचनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि आप अपने शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, चिकित्सीय

परीक्षण प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सत्यापित छायाप्रति संबंधित संस्था के प्राचार्य/संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यग्रहण करें। आपको आदेश जारी होने के एक माह के अंदर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

हस्ता0

उपसचिव

म.प्र. शासन